

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,  
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 25-01-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,02,79,824/- ( एक करोड़ दो लाख उन्नासी हजार आठ सौ चौबीस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-9(7)ब दिनांक-07.06.18, 50(7)ब दिनांक-11.10.18 एवं 65(7)ब दिनांक-05.12.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,02,79,824/- ( एक करोड़ दो लाख उन्नासी हजार आठ सौ चौबीस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड-20-2210061010003 के अन्तर्गत आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सधन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय।

6. किराये के मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जाय कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. विवरणी- II में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु कैमूर/गया को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

11. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।


12. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



( राधेश्याम साह )

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 86(7)9

पटना, दिनांक : 25-01-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	भकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन (01-07)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	किराया महशूल एवं कर (14-01)	कुल (20)	अभ्युक्ति (21)
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय,पटना:	0	0	0	0	0	0	0	33474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33474	09/2.1.19
2	अपर मु० चि० पदा०, रोहतास	1000000	100000	150000	0	12000	12000	1274000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	50000	1329000	237/24.11.18
3	अपर मु० चि० पदा०,पटना	1200000	120000	300000	20000	14400	14400	1668800	0	0	10000	0	0	0	0	0	4000	0	1682800	640/10.12.18
4	अपर मु० चि० पदा०,सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	3250	5000	1500	0	4000	21000	39750	2196/8.11.18
5	अपर मु० चि० पदा०, मुंगेर	1700000	170000	255000	0	20400	20400	2165800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2165800	365/12.12.18
6	अपर मु० चि० पदा०,बेगुसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000	341/22.11.18
7	अपर मु० चि० पदा०, मधुबनी	600000	60000	90000	0	7200	7200	764400	0	0	6050	0	0	0	1000	0	4000	0	775450	237/24.11.18
8	अपर मु० चि० पदा०, सीवान	400000	40000	60000	0	4800	4800	509600	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	529600	419/24.12.18
9	अपर मु० चि० पदा०, कटिहार	700000	70000	105000	0	8400	8400	891800	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	901800	611/24.12.18
10	अपर मु० चि० पदा०, गया	700000	70000	105000	0	8400	8400	891800	0	10000	10000	20000	0	4000	0	10000	5000	0	950800	297/20.12.18
11	अपर मु० चि० पदा०, नालन्दा	600000	60000	90000	0	7200	7200	764400	0	0	10000	0	1500	5000	1500	10000	5000	0	797400	731/2.1.19
	<b>कुल</b>	<b>6900000</b>	<b>690000</b>	<b>1155000</b>	<b>20000</b>	<b>82800</b>	<b>82800</b>	<b>8930600</b>	<b>33474</b>	<b>10000</b>	<b>56050</b>	<b>20000</b>	<b>4750</b>	<b>14000</b>	<b>4000</b>	<b>50000</b>	<b>22000</b>	<b>71000</b>	<b>9215874</b>	

( बेरान्चे लाख पन्द्रह हजार आठ सौ चौहत्तर ) रू० मात्र

86(7)A

25-01-19

24/1/19

सरकार के विशेष सचिव

अ

विवरणी- II

व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत उल्लेखित प्राथमिक इकाईयों में कैमूर/गया जिले का वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	कुल आवंटित राशि
1	कैमूर	450000	0	450000
2	गया	600000	13950	613950
कुल योग :-		1050000	13950	1063950

(दस लाख तिरसठ हजार नौ सौ पच्चास) रूपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी- III

विवरणीवार व्यय की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	विवरणी- I	विवरणी- II	कुल
1	2	3	4	5
1	वेतन (01-01)	6900000	0	6900000
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	690000	0	690000
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	1155000	0	1155000
4	परिवहन भत्ता (01-05)	20000	0	20000
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	82800	0	82800
6	अन्य भत्ता (01-07)	82800	0	82800
योग वेतन एवं भत्ते:-		8930600	0	8930600
7	मजदूरी (02-01)	0	1050000	1050000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	33474	0	33474
9	यात्रा व्यय (11-01)	10000	0	10000
10	कार्यालय व्यय (13-01)	56050	13950	70000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13-02)	20000	0	20000
12	दूरभाष (13-03)	4750	0	4750
13	विद्युत प्रभार (13-04)	14000	0	14000
14	विधि प्रभार (13-05)	4000	0	4000
15	वर्दी/ पोषाक (13-06)	50000	0	50000
16	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	71000	0	71000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	22000	0	22000
18	दवा भण्डार (21-02)	0	0	0
कुल योग:-		9215874	1063950	10279824

(एक करोड़ दो लाख उन्नासी हजार आठ सौ चौबीस) रू० मात्र

86(7)9

25-01-19

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	243000000	219470000	6900000	226370000	16630000
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	27000000	21947000	690000	22637000	4363000
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	53303000	26019000	1155000	27174000	26129000
4	परिवहन भत्ता (0003-01-05)	423000	273080	20000	293080	129920
5	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	8460000	2633640	82800	2716440	5743560
6	अन्य भत्ता (0003-01-07)	6663000	2633640	82800	2716440	3946560
	<b>योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन</b>	<b>338849000</b>	<b>272976360</b>	<b>8930600</b>	<b>281906960</b>	<b>56942040</b>
7	मजदूरी (0003-02-01)	10000000	6100000	1050000	7150000	2850000
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	500000	413542	33474	447016	52984
9	यात्रा व्यय (0003-11-01)	1000000	455000	10000	465000	535000
10	कार्यालय व्यय (0003-13-01)	600000	530000	70000	600000	0
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0003-13-02)	200000	115000	20000	135000	65000
12	दूरभाष (0003-13-03)	100000	86500	4750	91250	8750
13	विद्युत प्रभार (0003-13-04)	500000	486000	14000	500000	0
14	विधि प्रभार (0003-13-05)	100000	96000	4000	100000	0
15	वर्दी / पोषाक (0003-13-06)	306000	155000	50000	205000	101000
16	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	500000	324000	71000	395000	105000
17	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0003-21-01)	100000	78000	22000	100000	0
19	दवा भण्डार (0003-21-02)	800000	40000	0	40000	760000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003-52-01)	1000000	0	0	0	1000000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>357056000</b>	<b>281855402</b>	<b>10279824</b>	<b>292135226</b>	<b>64920774</b>

86(7)अ

25-01-19

सरकार के विशेष सचिव

9